न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 182 सन 2022
उनवान :-

1. विजय जाखड़ पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. मंगतुराम पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सरजीत जाखड़ पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रामलाल जाखड़ पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेशकार राज्य

निर्णय दिनांक :- 04/06/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 7/4 की कुल 4.7440हैक्ट में से 1/8 हिस्सा, व रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.1870हैक्ट में से 1/8 हिस्सा , व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 3/3 के कुल 3.1630हैक्ट में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य चक की भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुरलीधर पुत्र हरिराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज शामलात खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जाकर अन्य चक में अपने हक हिस्सा की भूमि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

प्राप्त कर ली है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 7/4 की कुल 4.7440हैक में से 1/8 हिस्सा, व रोही मोजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.1870हैक में से 1/8 हिस्सा , व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 3/3 के कुल 3.1630हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य हे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य चक की भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 7/4 की कुल 4.7440हैक में से 1/8 हिस्सा, व रोही मोजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.1870हैक में से 1/8 हिस्सा , व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 3/3 के कुल 3.1630हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मुरलीधर पुत्र हरिराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुरलीधर पुत्र हरिराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुरलीधर पुत्र हरिराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वर्तमान में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है वादभूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य भूमियों के साथ वाद भूमि का भी बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया की बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 7/4 की कुल 4.7440हैक में से 1/8 हिस्सा, व रोही मोजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.1870हैक में से 1/8 हिस्सा , व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 3/3 के कुल 3.1630हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोष्ति किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विजय जाखड पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अमरसिह पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. मंगतुराम पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सरजीत जाखड पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रामलाल जाखड पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 182 सन 2022 निर्णय दिनांक– 04/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 7/4 की कुल 4.7440हैक में से 1/8 हिस्सा, व रोही मोजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.1870हैक में से 1/8 हिस्सा , व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 3/3 के कुल 3.1630हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोष्ति किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner